आठवां अध्याय : वन व्यय

8.1 कर प्रशासन

वन विभाग मुख्य रूप से वनों की सुरक्षा, संरक्षण, विकास तथा पुनरोत्पादन, काष्ठ एवं अन्य वनोपज का विदोहन तथा वनों की स्थायी वृद्धि में व्यय करता है।

वन विभाग, मुख्य सचिव(वन) के अधीन कार्य करता है। रायपुर स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) विभाग के पूर्णरूपेण प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। मुख्यालय स्तर पर प्र.मु.व.सं. के सहायक के रूप में अतिरिक्त प्र.मु.व.सं. एवं मु.व.सं. रहते हैं।

राज्य का वन क्षेत्र बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायपुर एवं सरगुजा में स्थित छः वन संरक्षकों द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। राज्य का वन क्षेत्र 32 वनमंडलों में विभाजित है। वनमंडलों के प्रशासन, वनोपज के विक्रय, राजस्व संग्रहण के साथ-साथ वनों की सुरक्षा, संरक्षण, स्थायी वृद्धि तथा काष्ठ विदोहन पर व्यय का उत्तरदायित्व वनमंडलाधिकारी (व.मं.अ.) का है। व.मं.अ. की सहायता हेतु वनमंडल में उपवनमंडलाधिकारी (उ.व.मं.अ.) रहते हैं। वनों की सुरक्षा के अतिरिक्त, वन क्षेत्रपाल रोपण कार्य, वृक्षों के अंकन एवं विदोहन, काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के कूपों[1] से काष्ठागारों में परिवहन आदि हेतु उत्तरदायी है। कार्य आयोजना वृत्त (बिलासपुर)एवं कार्य आयोजना वनमंडलों का उत्तरदायित्व कार्य आयोजनाओं को समय सीमा के अंदर तैयार करना होता है। विभाग निम्न अधिनियमों, नियमों एवं आदेशों का पालन करता हैः

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- वन वित्तीय नियम;
- राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता, 2004;
- वन मैन्युअल; एवं
- राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण के संबंध में शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश/दिशा निर्देश

8.2 वन विभाग में व्यय की प्रवृत्ति

वन विभाग में 2007-08 से 2011-12 की अवधि में व्यय की स्थिति निम्न तालिका में वर्णित हैः

---

[1] कार्य आयोजना में वन क्षेत्र को विभिन्न कार्य वृत्तों में विभक्त किया जाता है। कार्यवृत्तों को कक्षों में तथा कक्षों को कूपों में विभक्त किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	आबंटन	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय आबंटन के प्रतिशत के रूप में
2007-08	556.88	501.30	467.54	93.27
2008-09	649.20	614.62	566.43	92.16
2009-10	716.37	659.53	647.14	98.12
2010-11	852.02	665.86	676.31	101.57
2011-12	1065.13	772.03	763.98	98.96

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में वास्तविक व्यय, बजट अनुमानों से क्रमशः 21 एवं 28 प्रतिशत कम था। वर्ष 2010-11 को छोड़कर वास्तविक व्यय आबंटन से कम था। वर्ष 2010-11 में विभाग का आयोजनेत्तर व्यय बढ़ जाने के कारण वास्तविक व्यय आबंटन से अधिक हुआ।

8.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2007-08 से 2010-11 की अवधि में हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अनियमित, निष्फल, संदिग्ध व्यय आदि के 310 प्रकरणों को, जिनमें राशि ₹ 219.52 करोड़ समाहित है, इंगित किया है। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	प्रकरणों की संख्या	आक्षेपित राशि
2007-08	1	10	1.11
2008-09	12	82	63.82
2009-10	7	39	12.93
2010-11	19	179	141.66
योग	**39**	**310**	**219.52**

8.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2011-12 में वन विभाग की 15 इकाईयों की लेखापरीक्षा की जिसमें अनियमित, निष्फल, संदिग्ध व्यय आदि के 143 प्रकरण, जिनमें ₹59.33 करोड़ की राशि सन्निहित थी, पाये गये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अनियमित व्यय	35	14.37
2	परिहार्य व्यय	22	4.65
3	निष्फल व्यय	17	11.16
4	अधिक व्यय	18	4.95
5	अन्य अनियमितताएं	51	24.20
	योग	**143**	**59.33**

अनियमित, निष्फल, निरर्थक, संदिग्ध व्यय, क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत की कम वसूली आदि के राशि ₹14.48 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

8.5 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने विभिन्न व.म.अ. के अभिलेखों की जांच की एवं अधिनियमों/नियमों/शासकीय अधिसूचनाओं/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के अनेक प्रकरण पाये गये जिनमें क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत की कम वसूली, रोपण कार्यों, सड़क निर्माण कार्यों, अन्य वानिकी कार्यों के सम्पादन आदि में अनियमित, निरर्थक, संदिग्ध व्यय हुआ जिनका वर्णन इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। वनमंडलाधिकारियों द्वारा हुई इस प्रकार की अनियमितताएं हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती है किन्तु ये अनियमितताएं न केवल बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जावे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

8.6 आपदा राहत मद से अस्वीकृत कार्यों पर अनियमित व्यय

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने निर्देशित किया (जून 2005) कि आपदा राहत कोष में से व्यय चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, अतिवृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने और कीटों के हमले के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। क्षतिग्रस्त बुनियादी अधोसंरचना और पूँजीगत संपत्ति की मरम्मत पर व्यय सामान्य बजट मद से किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि किया गया व्यय तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जा रहा हो। और यह भी कि आपदा तैयारियों एवं शमन के लिए प्रावधान राज्य आयोजना में किया जाना चाहिए न कि आपदा राहत के भाग के रूप में। आगे, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 27 जून 2007 द्वारा राज्य सरकारों को पुनः निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा राहत कोष से केवल स्वीकृत मदों एवं मापदंड के अनुसार ही व्यय हो।

चार[2] वनमंडलाधिकारियों ने 627 कार्यों के लिए राशि ₹20.74 करोड़ का प्रस्ताव[3] संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किया। इन वनमंडलाधिकारियों के प्रस्ताव, रोकड़ बही, भुगतान हेतु पारित प्रमाणकों एवं परियोजना प्रतिवेदनों की नमूना जांच अगस्त 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य में किये जाने पर हमने पाया कि वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वे कार्य भी सम्मिलित थे जो न ही आपदा राहत मद की स्वीकृत सूची (277 कार्य) में थे और न ही तत्काल स्वरूप (48 कार्य) के थे। तथापि, संबंधित कलेक्टरों ने उपरोक्त

[2] धमतरी, पूर्व भानुप्रतापपुर, रायपुर एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर।

[3] वर्ष 2008-09 में पूर्व भानुप्रतापपुर एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर, वर्ष 2010-11 में धमतरी एवं रायपुर।

प्रस्तावों के लिए राशि स्वीकृत की और वनमंडलाधिकारियों ने उपरोक्तानुसार 325 कार्यों पर कार्य करते हुए राशि ₹10.76 करोड़[4] का व्यय किया (विवरण **परिशिष्ट-8.1** में दर्शाया गया है)।

उपरोक्त कार्य विभाग के नियमित स्वरूप के कार्य थे जिसके लिए प्रतिवर्ष राज्य शासन से बजट स्वीकृत होता है। और यह भी कि ये कार्य न तो स्वीकृत कार्यों की सूची में थे और न ही तत्काल स्वरूप के थे जिन्हें आपदा राहत मद से किया जाना था और ना ही प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को आकस्मिक राहत देने के लिए प्रावधानित थे। इस प्रकार भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर आपदा राहत मद से राशि ₹10.76 करोड़ का किया गया व्यय अनियमित था।

जब इसे लेखापरीक्षा में इंगित किया गया (अगस्त 2011, अक्टूबर 2011 एवं जनवरी 2012), वनमंडलाधिकारी, रायपुर एवं पूर्व भानुप्रतापपुर ने उत्तर दिया कि शासन से प्रशासकीय अनुमोदन एवं स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य कराया गया। वनमंडलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर ने उत्तर दिया कि गर्मी के दिनों में पानी संग्रहण करने, मवेशियों को पेयजल उपलब्ध कराने एवं नाला के बढ़ते कटाव को रोकने के लिए उपरोक्त कार्य कराया गया। धमतरी के प्रकरण में शासन ने तथ्यात्मक विवरण के संबंध में उत्तर दिया कि कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार एवं कलेक्टर की स्वीकृति के पश्चात कराये गये हैं।

तथ्य यह है कि उपरोक्त सभी कार्य विभाग के नियमित कार्य थे और पीड़ितों को किसी आपदा से तत्काल राहत देने के लिए नहीं थे। केवल वे क्षतिग्रस्त/मरम्मत कार्य ही तत्काल राहत कार्य के अंतर्गत आते हैं जिन्हें प्राकृतिक आपदा घटित होने के 30 से 60 दिनों की अवधि में मरम्मत करने की आवश्यकता होती है परंतु इन प्रकरणों में विभाग ने इन कार्यों को एक वर्ष के बाद किया।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। हमें उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.7 क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राशि की कम वसूली

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमियों के प्रत्यावर्तन की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग ने निर्देशित किया (मार्च 2002) कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थानों से वर्ष 2001-02 में असिंचित वृक्षारोपण के लिए ₹29,725/- प्रति हेक्टेयर की दर से राशि वसूल की जावे। उक्त दरों में मजदूरी दरों में वृद्धि हेतु 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जावे एवं कुल योजना राशि का 25 प्रतिशत आकस्मिक व्यय, आस्थामूलक कार्यों तथा अनुसंधान एवं विस्तार हेतु रखा जावेगा।

वनमंडल कार्यालय कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ के गैरवानिकी कार्यों हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन से संबंधित प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच (फरवरी 2011) में हमने पाया कि वर्ष

[4] स्वीकृत सूची में नहीं- ₹920.33 लाख एवं तत्काल प्रकृति में सम्मिलित नहीं- ₹156.31 लाख।

2005-06 एवं 2008-09 की अवधि में चार प्रकरणों में 420.975 हेक्टेयर वनभूमि गैरवानिकी कार्यों हेतु इस शर्त पर प्रत्यावर्तित किये गये थे कि आवेदक संस्था दुगुने बिगड़े वनक्षेत्र[5] में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि का वहन करेगा। प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले आवेदक संस्थाओं से 843.658 हेक्टेयर बिगड़े वनभूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि ₹4.70 करोड़ वसूली की जानी थी। वर्ष 2001-02 हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण की दर ₹29,725/- निर्धारित थी। तथापि, विभाग ने वसूली की मांग करते समय वर्ष 2001-02 की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये बिना वर्ष 2002-03 हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राशि ₹29,725/- की दर से गणना की। परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि ₹85.98 लाख की कम वसूली हुई (विवरण **परिशिष्ट-8.2** में दर्शाया गया है)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (मार्च 2012) शासन ने कहा (जुलाई 2012) कि उक्त निर्देश के अनुसार वर्ष 2001-02 हेतु निर्धारित दर में 25 प्रतिशत राशि जोड़कर वर्ष 2002-03 एवं आगामी वर्षों के लिए दर निर्धारित किया गया। उक्त दर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत महंगाई दर जोड़कर कुल दर निर्धारित किया गया। उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि मार्च 2002 में जारी निर्देशानुसार वर्ष 2001-02 हेतु असिंचित वृक्षारोपण की दर राशि ₹ 29,725/- प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गयी थी, जबकि विभाग द्वारा उपरोक्त निर्धारित दर को वर्ष 2002-03 की दर मान कर आगे के वर्षों की गणना की। विभाग द्वारा गलत गणना किये जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। शासन ने लेखापरीक्षा में इंगित आक्षेप के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। आगे का उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.8 प्रमाणकों में संदिग्ध व्यय

छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा श्रमिकों को जॉब दर पर रखा जाकर विभागीय कार्य कराया जाता है एवं भुगतान प्रमाणकों के द्वारा किया जाता है जिसके साथ श्रमिक सूची लगी रहती है इस सूची में श्रमिकों के नाम, पिता का नाम, गाँव, किया गया कार्य, कार्य अवधि, भुगतान की गयी राशि एवं हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान आदि का विवरण दिया जाता है।

8.8.1 कांकेर वनमंडल के विभिन्न परिक्षेत्रों के कैश कॉपी एवं प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान (सितम्बर 2011) निम्न कमियां पायीं गईं:

5 प्रत्यावर्तित वनभूमि के दुगुने बिगड़े वनक्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वनीकरण।

स.क्र.	प्रमा.क्र.	कार्य स्थल	कार्य विवरण	कार्य अवधि	श्रमिकों की संख्या	भुगतान की गयी राशि
1	KK/76	कक्ष क्र.85	गड्ढ़ा खुदाई	12.02.11 से 23.02.11	38	46, 873
	KK/99	कक्ष क्र.85	ठूंठ ड्रेसिंग	04.02.11 से 13.02.11	42	50,000
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 18 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था।					
2	NP/153	ना.व.ख. 590	गड्ढा खुदाई	11.03.11 से 14.03.11	30	31,390
	NP/160	ना.व.ख. 590	मिट्टी एवं खाद मिश्रण से गड्ढा भराई	11.03.11 से 14.03.11	40	38,500
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार आठ श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था					
3	KK/213	कक्ष क्र.11	बोल्डर एकत्रीकरण	13.03.11 से 21.03.11	28	28,615
	KK/221	कक्ष क्र.11	चेक डैम निर्माण	06.03.11 से 14.03.11	28	37,372
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 26 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था					
4	KK/214	कक्ष क्र.11	चेक डैम निर्माण	06.03.11 से 13.03.11	30	36,456
	KK/223	कक्ष क्र.11	बारबेड वायर फिक्स करने का कार्य	06.03.11 से 12.03.11	30	31,500
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 29 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था (विवरण **परिशिष्ट-8.3** में दर्शाया गया है)					
योग						**3,00,706**

परिणामस्वरूप उपरोक्त चार प्रकरणों में राशि ₹3.01 लाख का संदिग्ध भुगतान हुआ क्योंकि एक ही श्रमिक एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यस्थलों में अलग-अलग कार्य नहीं कर सकते।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2011), वनमंडलाधिकारी ने कहा कि कार्य जॉब दर में कराया गया है एवं त्रुटिवश श्रमिक सूची में समान श्रमिकों के नाम दर्शाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कराये गये कार्य का सत्यापन उपमंडलाधिकारी द्वारा

किया गया है। हम वनमंडलाधिकारी के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि समान श्रमिकों से एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यस्थल पर कार्य लिया जाना संभव नहीं है।

प्रकरण विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया गया (अप्रैल एवं जून 2012)। हमें उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.8.2 कोरिया वनमंडल के विभिन्न परिक्षेत्रों के कैश कॉपी एवं प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान (फरवरी 2011) हमने पाया कि नाम एवं कार्य दिनांक, किये गये कार्य की मात्रा आदि विवरण श्रमिक सूची में सही तरीके से अंकित नहीं किये गये थे। प्रमाणक एवं कैश कॉपी की आगे जांच में निम्न कमियां पायी गयीः

स.क्र.	प्रमा.क्र.	कार्यस्थल	कार्य विवरण	कार्य अवधि	श्रमिकों की संख्या	भुगतान की गयी राशि
वनमंडलः कोरिया						
1	KH/39 मार्च, 10	कक्ष क्र. 664	चेक डैम निर्माण	06.02.10 से 20.02.10	34	48,002
	KH/40 मार्च 10	कक्ष क्र. 664	चेक डैम निर्माण	04.02.10 से 20.02.10	26	45,826
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 16 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था					
2	KH/74 फर.10	कक्ष क्र. 657	घास एवं लेण्टाना उन्मूलन	03.09.09 से 11.09.09	30	23,390
	KH/76 फर.10	कक्ष क्र. 651	घास एवं लेण्टाना उन्मूलन	02.09.09 से 16.09.09	30	42,961
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 21 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था					
3	CH/84 मार्च, 10	कक्ष क्र. 533	कंटूर ट्रेंच निर्माण	21.12.09 से 28.12.09	35	14,278
	CH/85 मार्च,10	कक्ष क्र. 533	कंटूर ट्रेंच निर्माण	25.12.09 से 31.12.09	38	18,373
	प्रमाणकों के साथ संलग्न श्रमिक सूची के अनुसार 12 श्रमिक उक्त दोनों कार्यस्थल पर एक ही अवधि में कार्य कर रहे थे जो संभव नहीं था					
योग						**1,92,830**

परिणामस्वरूप उपरोक्त तीन प्रकरणों में राशि ₹1.93 लाख का संदिग्ध भुगतान हुआ क्योंकि एक ही श्रमिक एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यस्थलों में अलग-अलग कार्य नहीं कर सकते।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2012), शासन ने तथ्यात्मक विवरण के जवाब में कहा (जून 2012) कि लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर विभाग द्वारा जांच की गयी। प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन (मई 2012) के अनुसार राशि ₹1.14 लाख का संदिग्ध भुगतान पाया गया एवं उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ किया गया है।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। प्रारूप कंडिका के संबंध में हमें उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2012)।

8.9 वृक्षारोपण पर संदिग्ध व्यय

वनमंडल के कार्य आयोजना में कक्षवार वनस्पति की स्थिति, वनों के प्रकार तथा घनत्व एवं वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्र का विस्तृत विवरण दिया जाता है। इस आधार पर वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी कार्यों हेतु कक्षों का निर्धारण किया जाता है।

वनमंडल मनेन्द्रगढ़ एवं कोरिया के कार्य आयोजना (2005-06 से 2014-15), कक्ष इतिहास, रोकड़ बही एवं भुगतान हेतु पारित प्रमाणकों के नमूना जांच (फरवरी 2011) में हमने ऐसे प्रकरण पाये जिसमें वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र की अनुपलब्धता के बावजूद वृक्षारोपण कार्य कराये गये जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

8.9.1 वन संरक्षक (व.सं.), सरगुजा ने बिगड़े वनों का सुधार (आर.डी.एफ.) क्षेत्र के 2000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य की स्वीकृति (जनवरी 2009) वनमंडलाधिकारी (व.म.अ.) मनेन्द्रगढ़ को प्रदान की। वनमंडलाधिकारी ने उक्त राशि तीन परिक्षेत्रों के 16 आर.डी.एफ. कक्षों के 2000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया (जनवरी 2009)। इन 16 कक्षों में से एक कक्ष (पी-1296) था जिसके 200 हेक्टेयर में 80,000 पौधों का रोपण करते हुए तीन वर्षों में (2009-10 से 2011-12) राशि ₹25.80 लाख का व्यय किया गया था।

वनमंडल मनेन्द्रगढ़ के वृक्षारोपण अभिलेखों के साथ-साथ वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन की नमूना जांच (फरवरी 2011) में हमने पाया कि उपरोक्त वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। आगे, परियोजना प्रतिवेदन में यह भी देखा गया कि कक्ष के सर्वेक्षण के आधार पर 60 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु परियोजना तैयार की गयी परंतु विभाग द्वारा 200 हेक्टेयर में रोपण कार्य लिया जाना दर्शाया गया। स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार कक्ष का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः

(क्षेत्रफल हे.में)

कक्ष क्र.	कुल रकबा	कार्य अयोग्य क्षेत्रफल				कार्य योग्य क्षेत्रफल
		पूर्व का वृक्षारोपण (कार्य आयोजना प्रारंभ होने के पूर्व)	अतिक्रमण	नदी नाला का क्षेत्र	कुल	
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-6)
पी/1296	230.60	40.00	5.658	7.425	53.08	177.52

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कक्ष में वृक्षारोपण हेतु 177.52 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध था। आगे नमूना जांच किये जाने पर पाया गया कि उसी कक्ष में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में क्रमशः 50 एवं 36 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य किया जा चुका था। अतः वर्ष 2009-10 में वृक्षारोपण हेतु अधिकतम क्षेत्र मात्र 91.52 हेक्टेयर[6] उपलब्ध था। तथापि, विभागीय अभिलेखों के अनुसार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य लिया गया जो संभव नहीं था। इस प्रकार, उपलब्ध क्षेत्र में से ज्यादा 108.48 हेक्टेयर[7] क्षेत्र में वृक्षारोपण हुआ एवं उस पर किया गया व्यय राशि ₹13.99 लाख[8] संदेहपूर्ण था।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि प्रकरण में वन संरक्षक के नेतृत्व में जांच किया गया एवं पाया गया कि केवल 91.52 हेक्टेयर में उपचार कार्य करते हुए 80,000 पौधे रोपित किये गये। कक्ष में अतिरिक्त 108 हेक्टेयर में कार्य दर्शाये जाने एवं अनियमित व्यय हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

उत्तर से स्पष्ट है कि अनुमोदित 200 हेक्टेयर क्षेत्र के विरूद्ध 91.52 हेक्टेयर में उपचार कार्य किया गया। वस्तुतः वृक्षारोपण कार्य पर राशि ₹11.81 लाख[9] का व्यय होना चाहिए था जिसके विरूद्ध उपचार कार्य पर कुल अनुमोदित राशि ₹25.80 लाख व्यय होना दर्शाया गया। परिणामस्वरूप उक्त कार्य पर राशि ₹ 13.99 लाख का संदिग्ध व्यय हुआ।

8.9.2 वन संरक्षक, सरगुजा ने वनमंडल कोरिया के 280 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस वृक्षारोपण हेतु राशि ₹32.70 लाख (₹19.54 लाख प्रथम वर्ष कार्य एवं ₹13.16 लाख द्वितीय वर्ष कार्य) स्वीकृत किया (अगस्त 2008 एवं मई 2009)। वनमंडलाधिकारी कोरिया ने तीन परिक्षेत्रों के बाँस वनों का पुनरोद्धार कार्यवृत्त के पांच[10] कक्षों के 280 हेक्टेयर में बाँस वृक्षारोपण का कार्य लिये जाने हेतु उक्त राशि आवंटित किया (सितम्बर 2008)।

कोरिया वनमंडल के वृक्षारोपण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (फरवरी 2011) कि चार[11] कक्षों के 200 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य लिया गया। कोरिया वनमंडल के स्वीकृत कार्य आयोजना (अवधि 2005-06 से 2014-15 के लिए) के अनुसार उन

---

6 177.52 - (50 + 36) = 91.52

7 200 - 91.52 = 108.48

8 (₹25,79,907 ÷ 200) = ₹12,899 X 108.48 = ₹13,99,283

9 ₹12,899 X 91.52 = ₹11,80,516

10 पी-300, पी-295, पी-74, पी-197 तथा पी-56,64

11 पी-300, पी-295, पी-74, पी-197

चार कक्षों का कुल रकबा 1249.43 हेक्टेयर था, जिसमें से 1170.580 हेक्टेयर वन आच्छादित था, 26.670 हेक्टेयर में नदी/नाला एवं केवल 35.52 हेक्टेयर में विरल वन/रिक्त[12] क्षेत्र था जहां वृक्षारोपण संभव था। इसके विरूद्ध वृक्षारोपण पंजी के अनुसार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य लिया जाना दर्शाया गया। इस प्रकार, उन कक्षों में क्षेत्र की अनुपलब्धता के बावजूद 164.48 हेक्टेयर[13] में 65,792 बाँस पौधों का रोपण हुआ। परिणामस्वरूप, ऐसे वृक्षारोपण कार्य पर किया गया व्यय राशि ₹18.48 लाख का व्यय संदिग्ध था (विवरण **परिशिष्ट-8.4** में दर्शाया गया है)।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेप प्राप्त होने के उपरांत वनमंडलाधिकारी द्वारा पुनः क्षेत्र का निरीक्षण किया गया एवं उनके प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कूपों में बाँस रोपण हेतु पर्याप्त खुला वन उपलब्ध है। वैसे भी बाँस अंडर स्टोरी[14] का पौधा है, जो अन्य वृक्षों के साथ आता है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि वनमंडल के स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार इन कक्षों में मात्र 35.52 हेक्टेयर बिगड़े वन/रिक्त क्षेत्र उपलब्ध था। वृक्षारोपण कार्य (2008-09), कार्य आयोजना के प्रारंभ होने (2005-06) के मात्र तीन वर्ष बाद ही किया गया। जबकि, इन तीन वर्षों में उक्त कक्षों में विरल वन/रिक्त क्षेत्र 35.52 हेक्टेयर से बढ़कर 200 हेक्टेयर हो जाने के संबंध में कोई अभिलेख नहीं पाए गए।

8.10 बांस वृक्षारोपण पर निरर्थक व्यय

वन संरक्षक, सरगुजा ने बिगड़े बांस वनों का सुधार योजना (6724) के अंतर्गत आर.डी.बी.एफ. कार्यवृत्त के 2005 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण हेतु राशि ₹1.40 करोड़ मनेन्द्रगढ़ वनमंडल को स्वीकृत किया (दिसम्बर 2008)। वृक्षारोपण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (फरवरी 2011) कि वनमंडलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ ने उक्त राशि 14 आर.डी.बी.एफ. कक्षों के 2005 हेक्टेयर में बांस वृक्षारोपण हेतु आबंटित किया (जनवरी 2009)। इन 14 कक्षों में से एक कक्ष (पी/1043) था जिसके 100 हेक्टेयर में बांस वृक्षारोपण कार्य लिया जाकर राशि ₹13.05 लाख का व्यय किया गया।

कार्य आयोजना एवं कक्ष इतिहास की नमूना जांच किये जाने पर हमने पाया कि वनमंडल के स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार कक्ष क्र. पी/1043 का कुल रकबा 224.24 हेक्टेयर था। वनमंडल के वृक्षारोपण अभिलेखों के अनुसार उक्त कक्ष में वर्ष 2004-05 एवं 2010-11 के मध्य 300 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य लिया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

---

[12] ऐसा वनक्षेत्र जहां कोई पेड़ पौधे न हों

[13] 200 हे.- 35.52 हे. = 164.48 हे.

[14] अंडर स्टोरी पौधे वे पौधे हैं जिन्हें उच्च मितान पौधों के नीचे रोपित किया जा सके

कक्ष क्र.	कुल क्षेत्रफल (हे.)	वर्ष	वृक्षारोपण कार्य				वृक्षारोपण हेतु लिया गया अधिक क्षेत्र (हे.)
			क्षेत्रफल (हे.)	पौधों की संख्या	प्राप्त राशि	व्यय राशि	
पी-1043	224.24	2004-05 से 07-08	200	80000	1267500	1221943	
		2008-09 से 10-11	100	40000	1318500	1305234	
	224.24	योग	**300**	**120000**	**2586000**	**2527177**	**75.76**

इसी प्रकार, वर्ष 2009-10 में उसी योजना के अंतर्गत वन संरक्षक ने आर.डी.बी.एफ. कार्यवृत्त के 2793 हेक्टेयर में बांस वनों का पुनरोद्धार कार्य (वृक्षारोपण रहित) हेतु राशि ₹76.81 लाख की स्वीकृति दी। वनमंडलाधिकारी ने उक्त राशि से आठ कक्षों के 972.27 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य लिया। इन आठ कक्षों में से एक कक्ष, कक्ष क्र. पी/1006 के 120 हेक्टेयर में बांस वृक्षारोपण कार्य लिया जाकर राशि ₹16.13 लाख का व्यय किया गया।

अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2011) में हमने पाया कि वनमंडल के स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार आर.डी.बी.एफ. क्षेत्र के कक्ष क्र. पी/1006 का कुल क्षेत्रफल 234.92 हेक्टेयर था। तथापि, वनमंडल के वृक्षारोपण अभिलेखों से यह पाया गया कि उक्त कक्ष में वर्ष 2003-04 एवं 2010-11 के मध्य 320 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य लिया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

कक्ष क्र.	कुल क्षेत्रफल (हे.)	वर्ष	वृक्षारोपण कार्य				वृक्षारोपण हेतु लिया गया अधिक क्षेत्र (हे.)
			क्षेत्रफल (हे.)	पौधों की संख्या	प्राप्त राशि	व्यय राशि	
पी-1006	234.92	2003-04 से 06-07	200	80000	1900000	1899996	
		2009-10 से 10-11	120	48000	1692000	1612756	
	234.92	योग	**320**	**128000**	**3592000**	**3512752**	**85.08**

उपरोक्त विवरण यह दर्शित करता है कि कक्ष क्र. पी/1043 एवं पी/1006 में उपलब्ध क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र में क्रमशः 75.76 हेक्टेयर एवं 85.08 हेक्टेयर वृक्षारोपण कार्य लिया गया जो संभव नहीं था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में उपलब्ध क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पर किया गया व्यय राशि ₹21.32 लाख[15] संदिग्ध प्रतीत होता है।

---

[15] पी/1043 - (₹1305234/100 हे.) = ₹13052 X 75.76 = ₹ 9,88,845
पी/1006 - (₹1612756/120 हे.) = ₹13439 X 85.08 = ₹11,43,344
योग = ₹21,32,189

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012) शासन ने कहा (अक्टूबर 2012) कि आपत्तियों की तथ्यात्मक जांच करने हेतु उपवनमंडलाधिकारियों की समिति गठित करते हुए रोपण स्थलों का निरीक्षण कर सत्यापन किया गया। समिति ने प्रतिवेदित किया कि उक्त दोनों स्थलों पर पूर्व वृक्षारोपण में रोपित पौधे नहीं पाये गये लेकिन बाद के वर्षों में रोपित पौधे पाये गये। उक्त कक्षों में पुनःरोपण करने से पूर्व असफल रोपण पर किया गया व्यय नियमानुसार अपलेखन कराया जाकर योजना स्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस अनियमितता हेतु जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। आगे, राशि ₹21.32 लाख की वसूली का प्रतिवेदन अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.11 दो डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग पर अनियमित एवं संदिग्ध व्यय

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 के नियम 4 के अनुसार जिन सामग्रियों की दरें छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम (सी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा निर्धारित नहीं की गयी है उन सामग्रियों का क्रय निविदा/कोटेशन के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि क्रय की जाने वाली सामग्री का वार्षिक मूल्य ₹ 50,000/- से अधिक हो तो क्रय केवल खुली निविदा के द्वारा किया जाना चाहिए। क्रय समिति द्वारा निविदा की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात, उस सामग्री के लिए प्रदायकर्ता को क्रय आदेश जारी किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (दिसम्बर 2002) के अनुसार विभागीय कार्य में प्रयुक्त गौण खनिज के लिए राज्यांश देय है। कलेक्टर से राज्यांश चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना प्रदायकर्ता को कोई भुगतान नहीं की जानी चाहिए।

कलेक्टर (बजट अनुभाग), रायपुर ने 251 क्षतिग्रस्त अधोसंरचना के मरम्मत हेतु राशि ₹6.98 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति वनमंडलाधिकारी, रायपुर को प्रदान की (जून 2010)। स्वीकृत राशि में से राशि ₹55.67 लाख एवं ₹17.58 लाख क्रमशः 'बार से घिरघोल 19 कि.मी.' डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग तथा 'तुरतुरिया से ठाकुरदिया 6 कि.मी.' डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग के मरम्मत हेतु स्वीकृत किया गया।

वनमंडल, रायपुर (सामान्य) के आबंटन, परियोजना प्रतिवेदन, रोकड़ बही एवं प्रमाणकों आदि की नमूना जांच (जनवरी 2012) में निम्न अनियमितताएं पायी गयीः

1. निर्माण सामग्रियों के क्रय में भण्डार क्रय नियम का पालन होना नहीं पाया गया।
2. प्रमाणकों में से राज्यांश की राशि न ही काटी गयी और न ही राज्यांश चुकता प्रमाण पत्र प्रमाणकों में संलग्न होना पाया गया।
3. प्रमाणकों की नमूना जांच से यह भी पाया गया कि उपरोक्त दो मार्गों के निर्माण के लिए दो वाहनों[16] का उपयोग खुदाई कार्य के लिए एवं चार वाहनों[17]

---

[16] CG/04/DN/3989 एवं CG/04/DN/1327

[17] CG/04/DM/1478, CG/04/DR/5084, CG/04/DM/1254 एवं CG/06/1135

का उपयोग सामग्री के परिवहन हेतु प्रयोग में लाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

मार्ग का नाम	सामग्री	मात्रा (घ.मी.)	प्रमाणकों के अनुसार वाहनों के पंजीयन क्र.	व्यय राशि (₹ लाख में)
तुरतुरिया से ठाकुरदिया 6 कि.मी.	मिट्टी	4500.00	CG/04/DN/3989 (जे.सी.बी.), CG/04/DM/1478 (ट्रैक्टर)	17.44
	मुरूम	3599.86	CG/04/DN/3989 (जे.सी.बी.), CG/04/DN/1327 (जे.सी.बी.), CG/04/DM/1478 (ट्रैक्टर)	
बार से घिरघोल 19 कि.मी.	मिट्टी	7500.00	CG/04/DN/1327(जे.सी.बी.), CG/04/DR/5084(ट्रैक्टर), CG/04/DM/1254(ट्रैक्टर) एवं CG/06/1135(ट्रैक्टर)	54.58
	मुरूम	5632.00	CG/04/DN/1327(जे.सी.बी.),CG/04/DR/5084(ट्रैक्टर), CG/04/DM/1254(ट्रैक्टर) एवं CG/06/1135(ट्रैक्टर)	
योग				**72.02**

इन वाहनों के विवरणों का परिवहन विभाग से प्रति-परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि तीन वाहन (CG/04/DN/1327, CG/04/DN/3989 एवं CG/04/DR/5084) दो पहिया (मोटरसाईकल एवं स्कूटर) वाहन हैं। यह स्पष्ट है कि इन वाहनों को खुदाई एवं परिवहन कार्यों में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अतः मार्ग निर्माण पर किया गया व्यय राशि ₹72.02 लाख संदिग्ध प्रतीत होता है।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जनवरी 2012) वनमंडलाधिकारी ने उत्तर दिया (जनवरी 2012) कि कोई क्रय आदेश जारी नहीं किये गये थे एवं मिट्टी, मुरूम एवं गिट्टी का भुगतान वर्तमान शेड्यूल ऑफ रेट के अनुसार किया गया। लिपिकीय त्रुटिवश पंजीयन क्र.CG/04/DN/1327 एवं CG/04/DR/5084 का विवरण प्रमाणकों में उल्लेखित हो गया एवं वाहन क्र. CG/04/DN/3989 एक जे.सी.बी. मशीन है न कि मोटरसाईकल।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रमाणकों के अनुसार कार्यालय द्वारा मुरूम एवं मिट्टी संग्रहण हेतु प्रदायकर्ताओं को सीधे भुगतान किया जा रहा था जिससे यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन करते हुए कार्यालय ने सीधे तौर से प्रदायकर्ता से सामग्रियों का क्रय किया। प्रदायकर्ताओं को सामग्री का भुगतान किये जाने से पहले बिल से राज्यांश की राशि काटी जानी चाहिए थी जो होना नहीं पाया गया। लिपिकीय त्रुटि एक या दो प्रमाणकों में हो सकती है परंतु एक ही तरह की दो से अधिक त्रुटि संभव नहीं है। आगे, यह उत्तर दिया गया कि CG/04/DN/3989 एक जे.सी.बी. मशीन है परंतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर के द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार यह पंजीयन संख्या भी एक मोटरसाईकल का है।

प्रकरण विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। हमें उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.12 पठियापाली से झालपानी के बीच डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग के निर्माण में संदिग्ध व्यय

> वन वित्तीय नियमावली के नियम 6 के अनुसार सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। आगे, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 11 के अनुसार नियंत्रण अधिकारी का उत्तरदायित्व न केवल यह जांच करना है कि व्यय प्राप्त आबंटन के अंदर है परंतु यह भी जांच करना है कि व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए राशि आबंटित की गयी है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) ने दिसम्बर 2010 में वनमार्ग पर 10 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण हेतु राशि ₹78.10 लाख की स्वीकृति प्रदान की। वनमंडलाधिकारी, रायपुर ने उक्त आबंटन के विरूद्ध सोनाखान परिक्षेत्र के अंतर्गत 'नवागांव से अचानकपुर' के मध्य चार कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग के निर्माण हेतु राशि ₹31.24 लाख आबंटित किया।

आबंटन आदेश, कैश कॉपी एवं पारित प्रमाणकों की नमूना जांच में (जनवरी 2012) पाया गया कि वनमंडलाधिकारी ने 'नवागांव से अचानकपुर' वनमार्ग निर्माण का कार्य न लेकर 'पठियापाली से झालपानी' वनमार्ग का निर्माण कार्य करते हुए (दिसम्बर 2011) राशि ₹31.32 लाख का व्यय किया। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य वित्तीय संहिता के प्रावधानों के विपरीत था।

इसके अलावा, निम्नलिखित अनियमितताएं भी पायी गयीः

(i) प्रमाणक क्र. 179, 261, 293, 110, 269, 403, 389, 228, 7, 70, 21, 86, 122, 412, 177, 305 एवं 187 के अवलोकन पर यह पाया गया कि ट्रैक्टर क्र. CG-04-ZD-3655 द्वारा 1371.60 घ.मी. मुरूम संग्रहण के पश्चात परिवहन किया गया। यद्यपि, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार उक्त पंजीयन क्रमांक का वाहन एक ओमनी बस है। इसी प्रकार प्रमाणक क्र. 355, 356 एवं 357 के अवलोकन पर यह पाया गया कि वाहन क्रमांक CG-04-G-2119 द्वारा 180.35 घ.मी. मुरूम संग्रहण के पश्चात परिवहन किया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार उक्त पंजीयन क्रमांक का वाहन एक भारी मालवाहक वाहन है न कि एक ट्रैक्टर।

(ii) प्रमाणकों के द्वारा यह भी देखा गया कि 4 कि.मी. मार्ग के निर्माण हेतु 9,165 घ.मी. मुरूम संग्रहण किये गये जबकि मात्र 3,095 घ.मी. मुरूम का उपयोग होना पाया गया। शेष 6,070 घ.मी. मुरूम के उपयोग के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई जानकारी नहीं दी गयी। इसी प्रकार, उक्त मार्ग हेतु 4,067 घ.मी. गिट्टी क्रय किया गया था परंतु प्रमाणकों के अनुसार गिट्टी का उपयोग होना नहीं पाया गया। अतः सामग्रियों का क्रय एवं परिवहन संदिग्ध प्रतीत होता है।

(iii) उपरोक्त के अलावा, वनमंडलाधिकारी ने छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 का उल्लंघन करते हुए सीधे प्रदायकर्ताओं से राशि ₹27.90 लाख की सामग्रियों का क्रय किया। इसके साथ ही प्रमाणकों में से गौण खनिज प्रदाय पर राज्यांश की राशि भी नहीं काटी गयी।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जनवरी 2012) वनमंडलाधिकारी ने उत्तर दिया (जनवरी 2012) कि संग्रहित एवं परिवहित गिट्टी का उपयोग डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग के निर्माण कार्य में किया गया। आगे, लिपिकीय त्रुटिवश वाहनों का पंजीयन क्रमांक प्रमाणकों में गलत अंकित हुआ एवं सभी भुगतान वास्तविक कार्य के आधार पर किया गया।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि आबंटन 'नवागांव से अचानकपुर' मार्ग हेतु किया गया था एवं स्थल परिवर्तन हेतु उच्च अधिकारियों से स्वीकृति लिए बिना 'पठियापाली से झालपानी' मार्ग के निर्माण कार्य पर व्यय किया गया। साथ ही भण्डार क्रय नियमों का पालन न करने के साथ-साथ प्रदायकर्ताओं से गौण खनिज (मुरूम, मिट्टी, गिट्टी आदि) क्रय किये जाने पर प्रमाणकों में राज्यांश की राशि भी नहीं काटी गयी। संग्रहित मुरूम एवं गिट्टी के उपयोग के संबंध में भी कोई अभिलेख नहीं पाये गये।

प्रकरण विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। हमें उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.13 बारिश के दौरान चेकडैम एवं वनमार्ग निर्माण पर संदिग्ध व्यय

वनमंडल के कार्य आयोजना में यह स्पष्ट कहा गया है कि मृदा संरक्षण कार्य केवल माह अप्रैल एवं मई में किया जाना चाहिए।

वनमंडलाधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में (जनवरी 2012) पाया गया कि कलेक्टर ने बाढ़ से क्षतिग्रत अधोसंरचना की मरम्मत, जिनमें भू-जल संरक्षण, तालाब गहरीकरण, वनमार्ग उन्नयन, स्टापडैम मरम्मत कार्य शामिल थे, हेतु राशि ₹10.98 करोड़ की स्वीकृति (जून 2010) इस शर्त के साथ् दी कि कार्य वर्षा ऋतु को ध्यान में रखकर करायी जाए। तथापि, वनमंडलाधिकारी ने माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2010 में चेकडैम निर्माण एवं वनमार्ग उन्नयन का कार्य लिया एवं राशि ₹86.55 लाख (चेकडैम निर्माण पर ₹29 लाख एवं वनमार्ग उन्नयन पर ₹57.55 लाख) का व्यय किया। भारतीय मौसम विभाग, रायपुर द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में क्रमशः 462.4 मि.मी., 225.0 मि.मी. एवं 273.8 मि.मी. बारिश हुई। इस तरह की बारिश में उपरोक्त कार्य कराया जाना संभव नहीं था। अतः उपरोक्त कार्यों पर किया गया व्यय राशि ₹86.55 लाख संदिग्ध प्रतीत होता है।

इसे जब लेखापरीक्षा में इंगित किया गया (जनवरी 2012), वनमंडलाधिकारी ने उत्तर दिया (जनवरी 2012) कि वर्षा ऋतु 2010-11 में रायपुर के वनक्षेत्रों में खण्ड वर्षा हुई। वर्षा ऋतु में मिट्टी के कार्य कराने के कोई भी लिखित प्रतिबंधन नहीं है। मौसम की अनुकूलता एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए ही भू-जल संरक्षण/सड़क उन्नयन कार्य कराया गया है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कलेक्टर के स्वीकृति आदेश में यह स्पष्ट आदेश था कि कार्य वर्षा ऋतु को ध्यान में रखकर किया जावे तथा रायपुर

जिले में माह जुलाई-सितम्बर 2010 में बारिश को देखते हुए वनक्षेत्रों में चेकडैम निर्माण एवं वनमार्ग उन्नयन कार्य असंभव था।

प्रकरण विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012)। हमें उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

8.14 सड़क किनारे वृक्षारोपण में निष्फल व्यय

कार्य आयोजना के अनुसार वृक्षारोपण हेतु केवल उसी स्थल का चयन किया जाना चाहिए जहां रिक्त क्षेत्र उपलब्ध हो। साथ ही वृक्षारोपण हेतु भूमि तैयारी का कार्य रोपण से तीन माह पूर्व (अर्थात अक्टूबर से मार्च के मध्य) किया जाना चाहिए।

वनसंरक्षक, जगदलपुर वृत्त ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के अंतर्गत वनमंडलाधिकारी, बीजापुर को, बीजापुर से धनौरा चौक तक सात कि.मी. सड़क किनारे 14000 पौधों के रोपण हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2008) एवं इस कार्य के लिए राशि ₹37.10 लाख आबंटित किया तथा कलेक्टर, बीजापुर ने उक्त कार्य हेतु माह अगस्त 2008 में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

वनमंडलाधिकारी, बीजापुर के अभिलेखों की नमूना जांच में (अप्रैल 2012) हमने पाया कि वनमंडल द्वारा उक्त रोपण कार्य में माह सितम्बर 2008 से अप्रैल 2009 के मध्य राशि ₹37.10 लाख का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा दल एवं वनमंडल के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त कार्य का संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 80 से 90 प्रतिशत पौधे मृत हो गये थे तथा फेंसिंग पोल टूटे पाये गये। यह भी देखा गया कि जिस सात कि.मी. सड़क किनारे पर रोपण का कार्य लिया गया है वहां पूर्व से ही काफी मात्रा में बड़े-बड़े पेड़ विद्यमान थे एवं वहां रोपण की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे, उक्त कार्य से संबंधित प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र तैयारी, पौधा रोपण, निंदाई कार्य, आदि कार्य आयोजना में विनिर्दिष्ट समय अवधि में नहीं किये गये थे। अतः रोपण हेतु गलत स्थल चयन एवं गलत समय में कार्य किये जाने से राशि ₹37.10 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि इस रोपण कार्य हेतु द्वितीय वर्ष में सिंचाई, निंदाई, अन्य रखरखाव एवं सुरक्षा के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी थी, जिससे अत्यधिक पौधे मृत हो गये। इसके अलावा पथ वृक्षारोपण के दोनों ओर शासकीय भवन निर्माण, बारसूर से बीजापुर तक 32 के.व्ही. इलेक्ट्रीक ट्रांसमिशन लाईन के विस्तार एवं इस सड़क पर बीजापुर नगर के विस्तार के कारण पौधे मृत हो गये।

गलत स्थल चयन करने एवं कार्य आयोजना के अनुसार कार्य न किये जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं किया गया। और यह भी कि विभाग द्वारा द्वितीय वर्ष में रखरखाव तथा सुरक्षा हेतु राशि की मांग नहीं की गयी। आगे, उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग योजना बनाने एवं परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन में नाकाम रहा जिससे एक ही वर्ष में निर्मित संसाधन नष्ट हो गया।

रायपुर **(पूर्ण चंद्र माझी)**
दिनांकः **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांकः **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**